(सत्य प्रतिलिपि)

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी,छ0ग0

(आदेश दिनांक 14/10/2022)

जमानत याचिका कमांक 320/2022
आरक्षी केन्द्र सिहावा, अप.क.166/2022
धारा 186, 332 व 353 भा.द.सं.

कुलेश्वर साहू पिता अरूण साहू,
उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम घटुला
थाना सिहावा, तहसील नगरी, जिला
धमतरी, छ0ग0.....**आवेदक/अभियुक्त**

–विरूद्ध–

छ0ग0 राज्य
द्वारा–**आरक्षी केन्द्र सिहावा,**
जिला धमतरी, छ0ग0.....**अनावेदक/अभियोजन**

पुनश्चः–14.10.2022

मान्नीय सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय से यह जमानत याचिका आरक्षी केन्द्र सिहावा के अप.क.166/2022 धारा 186, 332 एवं 353 भा.द.सं. की केसडायरी सहित विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा **श्री देवेश प्रजापति** अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से **श्री श्याम कुमार रंगारी,** अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन

होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से **आवेदक/अभियुक्त की पत्नी श्रीमती सीमा साहू** ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत आवेदन में यह दर्शाया है कि उसे थाना सिहावा के अपराध क्रमांक 166/22, धारा 186, 353 व 332 भादसं में दिनांक 09.10.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नगरी के न्यायालय में पेश किया गया, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। निम्न न्यायालय के द्वारा उसका जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दप्रसं निरस्त कर दिया गया। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। उसे मामले में मिथ्या आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त आर्मी में रायफल मेन के पद पर पदस्थ है जो अपनी मां के केंसर के ईलाज कराने हेतु अपना गांव आया था। घटना दिनांक को ग्राम उमरगांव व ग्राम घटुला के लड़कों के मध्य हो रहे विवाद एवं मारपीट में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दोनों पक्षों को समझाईश दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र कमाउ सदस्य है, उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदक/अभियुक्त ने जमानत आवेदन के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक/शासन की ओर से **श्री श्याम कुमार रंगारी, अपर लोक अभियोजक** ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

डायरी के अनुसार घटना दिनांक 09.10.2022 को दो व्यक्ति ग्राम घठुला से उमरगांव जाने मार्ग पुल के पास तलवार लेकर लहराकर उस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे थे। जिस पर थाना सिहावा के द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा रही थी, जिस पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा ''मैं आर्मी वाला हूं तुम लोग पुलिस वाले हो तो क्या उखाड़ लोगे कहते हुये तुम लोग मेरे गांव के लड़कों को कैसे ले जाओगे मैं देखता हूं कहते हुये पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर हाथ मुक्का से मारपीट करते हुये प्रार्थी प्रधान आरक्षक 167 लक्ष्मीनाथ निर्मलकर की वर्दी को खींचकर कालर के पास फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 166/22, धारा 186, 353 एवं 332 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा पुलिस कर्मचारियों को धक्का मुक्की एवं मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुये प्रार्थी प्रधान आरक्षक 167 लक्ष्मीनाथ निर्मलकर की वर्दी को खींचकर कालर के पास फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा

पहुंचाया गया है। आवेदक/ अभियुक्त पर आरोपित अपराध मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त आर्मी में पदस्थ है, जिससे उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 10.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/ अभियुक्त का पूर्व आपराधिक व्यक्ति होने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण अभी अन्वेषण के स्तर पर है जिससे प्रकरण के निराकरण में समय लगना संभावित है। अतः मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये आवेदक/ अभियुक्त को लंबे समय तक कारावास में रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मामले की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। फलतः आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य होने से **स्वीकार** किया जाता है। यदि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य **25,000/–रूपये** का **एक सक्षम जमानत** एवं **इतनी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र** प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, अन्वेषण में सहयोग करने, अपराध की पुन्रावृत्ति न करने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–

(विजय कुमार साहू)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–

01. मान्नीय सत्र न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

03. संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित प्रेषित।

04. अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

VIJAY KUMAR SAHU
Digitally signed by VIJAY KUMAR SAHU
Date: 2022.10.14 16:29:35 +0530

(विजय कुमार साहू)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0